

9
86/10m

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021
कैम्प ग्राम पंचायत 51वें

Form No-|||

अज अदालत

फर्द अहकाम (नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

रायसिंहनगर

सुनील कुमार निवासी बनाम

सरकार

क्रिस्म मुकदमा 136 एल आर एक्ट

नम्बर 45 सन् 2021

जी.सी.एम.एस. आईडी 2021 /

हुवम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुवम की तामील में
जारी किए

तारीख हुकम

06/10/21

तहसीलदार भू.अ./नायब तहसीलदार मुकलावा रायसिंहनगर के पत्रांक/भू.अ./प्र.गां.सं.अ./2021/ दिनांक 06/10/21 के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत 8 तिल में प्रार्थी के नाम चक T.M.P. (A) की जमावंदी सम्वत् 2075 के खाता सं. 65 में सुनील कुमार 3/0 देवेन्द्र कुमार निवासी 12/11/605 जाति बिन्दोई राज पार खतेश्वर व सुष्मा देवी पं० रामपुरा निवासी 529/ पु० 529/605 जाति बिन्दोई आठ पार खतेश्वर के स्थान पर सुनील कुमार 3/0 देवेन्द्र कुमार निवासी 12/11/605 जाति बिन्दोई राज देव खतेश्वर व सुष्मा देवी पं० रामपुरा नि 529/605 जाति बिन्दोई खतेश्वर की खाते की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंघा की हैं।
प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम कैम्प कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी हैं। अतः तहसीलदार/नायब तहसीलदार मुकलावा रायसिंहनगर की अनुशंघा के आधार पर वाके चक T.M.P. (A) तहसील रायसिंहनगर की जमावंदी सम्वत् 2075 के खाता सं. 65 में सुनील कुमार 3/0 देवेन्द्र कुमार नि 12/11/605 जाति बिन्दोई राज पार खतेश्वर व सुष्मा देवी पं० रामपुरा नि 529/605 जाति बिन्दोई के स्थान पर सुनील कुमार 3/0 देवेन्द्र कुमार नि 12/11/605 जाति बिन्दोई राज देव खतेश्वर व सुष्मा देवी पं० रामपुरा नि 529/605 जाति बिन्दोई राज देव खतेश्वर की दुरुस्ती करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन वदरतूर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फौसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो।
आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
कैम्प 51वें